Web copy - Not official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 102/2011 **दायर तारीख** 08.11.2011

1. किशना पुत्र कानाराम
2. गोविन्दराम
3. कैलाश — पिता खांगाराम
4. राजेन्द्र
5. सन्तोष
6. तीजा देवी पत्नि खांगाराम
7. मूली
8. नानूडी — पिता खांगाराम
9. दडकी
10. पीलू

समस्त जाति माली निवासी मालीवाडा, तन मैड तहसील विराटनगर

—— वादीगण

बनाम

1. मदन पुत्र रामदेव (फौत)
   - 1/1. फूली देवी पत्नि मदन
   - 1/2. काना — पुत्रान मदन
   - 1/3. बंशी
   - 1/4. भंवरी
   - 1/5. श्रवण — पुत्रियान मदन
   - 1/6. मंगली
   - 1/7. मीना
   - 1/8. अनिता उर्फ पांची
2. हनुमान पुत्र रामदेव

जाति अहीर निवासी पूरावाला तन मैड, तहसील विराटनगर

3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक विराटनगर तहसील विराटनगर

—— प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राकेशमोहन शर्मा, अधिवक्ता वादीगण
श्री चिरंजीलाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 23.01.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मैड तहसील विराटनगर के साबिक खसरा नम्बर 3290 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा की खातेदारी वादीगण के पूर्वज बिरदु के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। खातेदार बिरदू के एक लडका खांगाराम हुआ है इस प्रकार वादी संख्या 2 लगायत 10 बिरदू के विधिक उत्तराधिकारी हैं। आराजी मुतनाजा वादी संख्या 1 व शेष वादीगण के बुजुर्ग बिरदू के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है, जिस पर वादीगण बिना किसी बाधा के काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान मे भी सम्पूर्ण रकबे पर काबिज काश्त हैं। हाल मैट्रिक प्रणाली के मुताबिक वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि के साबिक रकबे 1 बीघा 1 बिसवा के हाल पैमाईश के दौरान 0.2625 ऐयर बनाया जाना चाहिए था, जिसकी जगह साबिक खसरा नम्बर 3290 का हाल खसरा नम्बर 578/0.08 हैक्टेयर निर्धारित किया जाकर वादी संख्या 1 व बिरदू की खातेदारी मे दर्ज किया गया है। साबिक रकबा के मुकाबले वादीगण की खातेदारी का रकबा 0.1825 ऐयर सैटिलमेंट कर्मचारियों कम दर्ज किया गया है। साबिक नक्शा ट्रेस व हाल नक्शा के मिलान से हाल खसरा नम्बर 576, 577 भी साबिक खसरा नम्बर 3290 से बनने चाहिए थे, जिसकी जगह हाल सैटिलमेंट के दौरान सैटिलमेंट कर्मचारियों ने गडबडी करते हुए मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक हाल खसरा नम्बर 576, 577 साबिक खसरा नम्बर 3289 से बनाया है। खसरा नम्बर 576, 577 की खातेदारी गलत रूप मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि खसरा नम्बर 576, 577, 578 पर वादीगण अपने अधिकारों के तहत शुरू से ही काबिज रहकर काश्त करते रहे है। साबिक खसरा नम्बर 3289 रकबा 11 बिसवा की खातेदारी रामदेव पुत्र झूंथा जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पिता था के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। नक्शे के मुताबिक खसरा नम्बर 3289 का हाल खसरा नम्बर 548 निर्धारित किया जाकर खसरा नम्बर 548 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी, परन्तु सैटिलमेंट कर्मचारियों ने गडबडी करते हुए खसरा नम्बर 548 की खातेदारी एक दीगर व्यक्ति सुंस्या पुत्र लादू माली के नाम दर्ज कर रखी है। ऐसी स्थिति में हाल सैटिलमेंट द्वारा की गई गडबडी को दुरूस्त कराने के वादीगण अधिकारी है। साबिक रिकार्ड में खसरा नम्बर 3289 का रकबा 11 बिसवा था एवं मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक नये नम्बर 576/0.08, 577/0.06, 548/0.10 हैक्टेयर किता 3 रकबा 0.24 हैक्टेयर बनाये गये है तथा साथ ही हाल खसरा नम्बर 546 मे भी खसरा नम्बर 3289 का कुछ हिस्सा मिलाया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गया है। इस प्रकार साबिक रिकार्ड के मुकाबले साबिक खसरा नम्बर 3290 का हाल पैमाईश के दौरान रकबा कम कर दिया गया है तथा खसरा नम्बर 3289 का रकबा बढा दिया गया है। वादीगण अपने नाम दर्ज 578 के अलावा खसरा नम्बर 576, 577 व इसके आस–पास लगती हुई अन्य भूमियों पर भी काबिज रहकर काश्त करते हुए चले आ रहे है। खसरा नम्बर 576, 577, 578 का कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर ही होता है, जबकि वादीगण का रिकार्ड में रकबा 0.2625 हैक्टेयर होना चाहिए था, ऐसी स्थिति मे हाल सैटिलमेंट के दौरान की गई गडबडियों को दुरूस्त करवाने के साथ रकबा बरारी कराने के भी अधिकारी है एवं खसरा नम्बर 576, 577 तथा रकबा बरारी के बाद अन्य भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि ग्राम पूरावाला के खसरा नम्बर 576/0.08, 577/0.06 हैक्टेयर का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर वादी संख्या 1 लगायत 10 को आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व आराजी की रकबा बरारी कराकर शेष जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि खसरा नम्बर 576, 577 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादीगण जरिए विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अपना जवाब वादपत्र पेश किया।

3. प्रतिवादीगण का जवाब रहा कि जिस प्रकार पक्षकार वादीगण बनाये गये हैं वे सजरा खानदान व साबिक जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड के अनुसार गलत है, क्योंकि साबिक जमाबन्दी रिकार्ड में किशन व बिरदू पिसरान काना जाति माली के नाम दर्ज रिकार्ड है। रिकार्ड के अनुसार काना के दो पुत्र बिरदू व किशना हुए हैं। वादी संख्या 1 ओर 2 लगायत 5, 8, 9, 10 व 6 के ससुर का आपस मे एक परिवार के व भाई होना गलत है।

   इस प्रकार काना के दो पुत्र किशना व रेवड था, न कि बिरदू। काना के तीन पुत्र बिरदु, रामदेव, छोटू हुए हैं, न कि किशन।

   वादीगण का साबिक खसरा नम्बर 3290 पर कोई कब्जा काश्त नहीं है, इस भूमि पर प्रतिवादीगण ही अपने बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त है। सैटिलमेंट कर्मचारियों ने मौका स्थिति व कब्जे काश्त के अनुसार वादीगण का रकबा पूरा करते हुए हाल राजस्व रिकार्ड बनाया है, जो सही है। वादीगण ने केवल साबिक खसरा नम्बर 3290 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा का कथन करते हुए सैटिलमेंट कर्मचारियों की गलती बताकर गलत तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश किया है, क्यों कि वादीगण की अन्य भूमि जो अपने ही भाईयों की सहखातेदारी के साथ है, उन भूमियों मे वादीगण का रकबा मिलाकर पूरा करते हुए राजस्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कर्मचारियों द्वारा रकबा पूरा किया हुआ है। साबिक खसरा नम्बर 3289 रकबा 11 बिसवा का हाल खसरा नम्बर 576/0.08, 577/0.06 हैक्टेयर बनाये गये हैं, जिस पर प्रतिवादीगण बिना किसी बाधा के काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। साबिक नक्शा ट्रेस से हाल नक्शा ट्रेस का मिलान किसी भी नम्बर से नहीं होता है। हाल खसरा नम्बर 548/0.10 हैक्टेयर की खातेदारी जो वर्तमान मे दीगर व्यक्ति सूंस्या पुत्र लादू के नाम दर्ज है, वह भूमि प्रतिवादीगण की है, परन्तु हाल खसरा नम्बर 548/0.10 हैक्टेयर जो भूमि प्रतिवादीगण की है वह उनके कब्जे मे है वह भूमि प्रतिवादीगण के साबिक खसरा नम्बर 3265 की भूमि है, क्योंकि खसरा नम्बर 3265 का साबिक रकबा 1 बीघा 8 बिसवा था, इसका हाल खसरा नम्बर 515 कायम किया जाकर उसका रकबा 0.21 हैक्टेयर ही कायम किया गया है, जबकि साबिक रकबे के हिसाब से इसका रकबा लगभग 0.35 हैक्टेयर होना चाहिए था, जो कि साबिक रकबे के हिसाब से 0.14 हैक्टेयर रकबा कम दर्ज हुआ है, जिसकी दुरूस्ती बाबत व खातेदारी बाबत प्रतिवादीगण ने सूंस्या पुत्र लादू के खिलाफ एक वाद उनवानी मदन वगैरह बनाम सूंस्या वगैरह के नाम से विचाराधीन है। साबिक खसरा नम्बर 3290 व 3289 का हाल राजस्व रिकार्ड मौका स्थिति व कब्जे काश्त के अनुसार सही बनाया गया है। वादीगण का रकबा साबिक के हिसाब से हाल रकबा भी उतना ही दर्ज है, जितना कि पहले था। हाल खसरा नम्बर 548 का रकबा 0.10 हैक्टेयर है वह प्रतिवादीगण की साबिक खातेदारी के ही अन्य साबिक खसरा नम्बर 3265 का ही एक भाग है, जिस पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त है एव हाल खसरा नम्बर 576, 577 प्रतिवादीगण की साबिक खातेदारी 3289 के भाग है। वादीगण ने यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया है कि उनका शेष आस–पास का रकबा किन–किन भूमियों मे मिला हुआ है व कितना– कितना तथा किस–किस जगह पर वे काबिज काश्त है एवं उनकी खातेदारी किसके पास है। हाल खसरा नम्बर 576, 577 की खातेदारी व कब्जा काश्त बुजुर्गो के समय से ही प्रतिवादीगण के पास है, तो वादीगण का रिकार्ड दुरूस्ती करवाने बाबत कहना गलत है। जब वादीगण के पास हाल खसरा नम्बर 576, 577 पर खातेदारी व कब्जा काश्त ही नहीं है तो रिकार्ड दुरूस्त करवाने बाबत सवाल ही पैदा नहीं होता है। अतः जवाब वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज किया जावे।

4. वादपत्र एवं जवाबदावा के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की गई।
    1. आया वादीगण की साबिक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3290 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा को हाल कब्जे काश्त, हक अधिकार, नक्शा ट्रेस के विपरीत हाल सैटिलमेंट में खसरा नम्बर 578/0.08 हैक्टेयर के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रूप में साबिक रिकार्ड के मुकाबले कम दर्ज करके प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 576/0.08, 577/0.06 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया, जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है, जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी करवाने के वादी अधिकारी है एवं बाद घोषणा खातेदारी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है ? **—— जिम्मे वादी**

2. आया सैटिलमेंट द्वारा वादीगण की रकबा पूर्ति वादी के दीगर खसरा नम्बरान एवं वादी के अन्य सहखातेदारों के खसरा नम्बरान को मिलाकर रकबा पूरा किया गया है, प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 576, 577 प्रतिवादीगण के साबिक खसरा नम्बर 3289 से बने है, जिसमें प्रतिवादी का कब्जा काश्त शुरू से है ? वाद आधारहीन होने से खारिज योग्य है। **—— जिम्मे प्रतिवादी**
3. आया वादीगण साबिक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3290 के वास्तविक खातेदार नहीं है ? **—— जिम्मे प्रतिवादी**

5. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस हाल Ex.P-1, नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.P-2, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 117 संवत् 2066–2069 Ex.P-3, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2024 Ex.P-4, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2024 Ex.P-5, नकल नक्शा इस्तखाब नम्बरान मौजा मैड संवत् 2006 Ex.P-6 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

   मौखिक साक्ष्य के रूप में किशना पुत्र कानाराम, मोठूराम पुत्र बुद्धाराम, बाबुलाल पुत्र नरसा राम के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया।

   प्रतिवादीगण ने अपने जवाब वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2066–2069 Ex.A-1, Ex.A-2, Ex.A-3, Ex.A-4, नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.A-5, Ex.A-6, नकल खतौनी साबिक सैटिलमेंट संवत् 2012–2017 Ex.A-7, नकल जमाबन्दी संवत् 2028–2031 Ex.A-8, नकल जवाबदावा उनवानी मदन वगै. बनाम सूंस्या वगै. मु.नं. 10/2012 पेश किये।

   मौखिक साक्ष्य के रूप में हनुमान सहाय पुत्र रामदेव अहीर का मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया गया।

6. बहस वकुलाय सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र के तथ्यों को विस्तृत रूप से दोहराते हुए दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया।
8. अब मैं वादपत्र के निर्णयार्थ विचारणीय विवाद्यक का विवेचन किया जाना उचित समझता हूँ :–

Web Copy - Not Official

तनकी संख्या 1 :– आया वादीगण की साबिक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3290 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा को हाल कब्जे काश्त, हक अधिकार, नक्शा ट्रेस के विपरीत हाल सैटिलमेंट में खसरा नम्बर 578/0.08 हैक्टेयर के रूप में साबिक रिकार्ड के मुकाबले कम दर्ज करके प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 576/0.08, 577/0.06 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया, जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है, जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी करवाने के वादी अधिकारी है एवं बाद घोषणा खातेदारी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है ? **–– जिम्मे वादी**

इस तनकी को साबित करने भार वादीगण पर रहा। वाके ग्राम मैड तहसील विराटनगर के साबिक खसरा नम्बर 3290 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2024–2027 बिरदू व किशना पि. काना कौम माली सा.देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बिरदू व किशना सगे भाई न होकर फूंफा–भतीजा है, लेकिन पिता का नाम एक होने से वल्दियत एक साथ लिखी गई है, इस तथ्य को उभय पक्ष स्वीकार करते हैं। किशना पिता काना वादी संख्या 1 है एवं बिरदू व उसके एक पुत्र खांगाराम के फौत होने पर वादीगण संख्या 2 लगायत 10 बिरदू के विधिक उत्तराधिकारी हैं। आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 3290 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा का हाल सैटिलमेंट परिवर्तन तालिका के अनुसार परिवर्तित रकबा 0.2625 हैक्टेयर बनता है, जबकि सैटिलमेंट द्वारा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 578/0.08 हैक्टेयर बनाया गया है, जो परिवर्तन तालिका अनुसार 0.1825 हैक्टेयर कम है। साबिक खसरा नम्बर 3290 के पास लगते हुए खसरा नम्बर 3289 रकबा 11 बिसवा से हाल सैटिलमेंट में खसरा नम्बर 576/0.08, 577/0.06, 548/0.10 हैक्टेयर कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर कायम किया गया है, जो परिवर्तन तालिका के अनुसार 11 बिसवा के बनने वाले रकबे 0.13 हैक्टेयर रकबे से 0.11 हैक्टेयर ज्यादा दर्ज किया गया है। यह भी कि उपर्युक्त खसरा नम्बर 576/0.08, 577/0.06 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.14 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई एवं खसरा नम्बर 548/0.10 हैक्टेयर की खातेदारी दीगर व्यक्ति सूंस्या वगै. के नाम दर्ज कर दी गई, जिसके संबंध में भी प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि बताते हुए खातेदारी घोषणा का राजस्व वाद संख्या 10/2012 उनवानी मदन बनाम सूंस्या न्यायालय हाजा मे विचाराधीन है। साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस को एक–दूसरे के उपर रखकर देखने से स्पष्ट होता है कि हाल खसरा नम्बर 576, 577 वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 3290 से बने हैं एवं 3290 से तीसरा खसरा नम्बर 578 बना है, जो वादीगण के नाम दर्ज है। इस प्रकार मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख.नं. 3290 से बने खसरा नम्बर 576/0.08, 577/0.06,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

578/0.08 हैक्टेयर कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर बनना बताया गया है, फिर भी 0.2625–0.22 = 0.04 हैक्टे. कम रह जाता है।

उपर्युक्त विवचेन से स्पष्ट है कि साबिक रिकार्ड की तुलना में हाल रिकार्ड में वादी की भूमि 0.1825 हैक्टेयर कम दर्ज की गई है एवं हाल व साबिक रिकार्ड के नक्शा ट्रेस की तुलना करने पर बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वादी के खसरा नम्बर 576, 577 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिये गये हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क रहा कि वादीगण का रकबा अन्य जगह पर पूरा कर दिया गया है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वादीगण की अन्य भूमि आराजी मुतनाजा के 2–3 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है एवं आराजी मुतनाजा के लगोलग वादीगण की अन्य भूमि नहीं है। अतः प्रतिवादी का तर्क निराधार है।

वादीगण के तथ्यों की पुष्टि इस बात से भी होती है कि प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 548/0.10 हैक्टेयर को अपनी खातेदारी की भूमि बताते हुए खातेदारी घोषणा का राजस्व वाद 10/2012 उनवानी मदन बनाम सूंस्या न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, जो इस वाद के बाद मे दायर हुआ है एवं नक्शा ट्रेस व रकबा के मिलान से भी प्रतिवादी का साबिक खसरा नम्बर 3289 हाल खसरा नम्बर 548/0.10 हैक्टेयर से बना हुआ प्रतीत होता है। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस हाल Ex.P-1, नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.P-2, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 117 संवत् 2066–2069 Ex.P-3, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2024 Ex.P-4, नकल जमाबन्दी (खेवट खतौनी) संवत् 2024 Ex.P-5, नकल नक्शा इस्तखाब नम्बरान मौजा मैड संवत् 2006 Ex.P-6 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये है, जो प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी करवाने के वादी अधिकारी है एवं बाद घोषणा खातेदारी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। उक्त तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया सैटिलमेंट द्वारा वादीगण की रकबा पूर्ति वादी के दीगर खसरा नम्बरान एवं वादी के अन्य सहखातेदारों के खसरा नम्बरान को मिलाकर रकबा पूरा किया गया है, प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 576, 577 प्रतिवादीगण के साबिक खसरा नम्बर 3289 से बने है, जिसमें प्रतिवादी का कब्जा काश्त शुरू से है ? वाद आधारहीन होने से खारिज योग्य है। **–– जिम्मे प्रतिवादी**

तनकी सख्या 3 :– आया वादीगण साबिक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3290 के वास्तविक खातेदार नहीं है ? **–– जिम्मे प्रतिवादी**

उक्त दोनो तनकीयों को साबित करने भार प्रतिवादी पर रहा, अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क रहा कि वादीगण ने केवल साबिक खसरा नम्बर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3290 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा का कथन करते हुए सैटिलमेंट कर्मचारियों की गलती बताकर गलत तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश किया है, क्यों कि वादीगण की अन्य भूमि जो अपने ही भाईयों की सहखातेदारी के साथ है, उन भूमियों मे वादीगण का रकबा मिलाकर पूरा करते हुए राजस्व कर्मचारियों द्वारा रकबा पूरा किया हुआ है। इसके संबंध में यह कि आराजी मुतनाजा साबिक खसरा नम्बर 3290 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा का हाल सैटिलमेंट परिवर्तन तालिका के अनुसार परिवर्तित रकबा 0.2625 हैक्टेयर बनता है, जबकि सैटिलमेंट द्वारा मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 578/0.08 हैक्टेयर बनाया गया है, जो परिवर्तन तालिका अनुसार 0.1825 हैक्टेयर कम है। साबिक खसरा नम्बर 3290 के पास लगते हुए खसरा नम्बर 3289 रकबा 11 बिसवा से हाल सैटिलमेंट में खसरा नम्बर 576/0.08, 577/0.06, 548/0.10 हैक्टेयर कुल रकबा 0.24 हैक्टेयर कायम किया गया है, जो परिवर्तन तालिका के अनुसार 11 बिसवा के बनने वाले रकबे 0.13 हैक्टेयर रकबे से 0.11 हैक्टेयर ज्यादा दर्ज किया गया है। यह भी कि उपर्युक्त खसरा नम्बर 576/0.08, 577/0.06 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.14 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई एवं खसरा नम्बर 548/0.10 हैक्टेयर की खातेदारी दीगर व्यक्ति सूंस्या वगै. के नाम दर्ज कर दी गई, जिसके संबंध में भी प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि बताते हुए खातेदारी घोषणा का राजस्व वाद संख्या 10/2012 उनवानी मदन बनाम सूंस्या न्यायालय हाजा मे विचाराधीन है। साबिक एवं हाल नक्शा ट्रेस को एक–दूसरे के उपर रखकर देखने से स्पष्ट होता है कि हाल खसरा नम्बर 576, 577 वादीगण के साबिक खसरा नम्बर 3290 से बने हैं एवं 3290 से तीसरा खसरा नम्बर 578 बना है, जो वादीगण के नाम दर्ज है। इस प्रकार मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख.नं. 3290 से बने खसरा नम्बर 576/0.08, 577/0.06, 578/0.08 हैक्टेयर कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर बनना बताया गया है, फिर भी 0.2625–0.22 = 0.04 हैक्टे. कम रह जाता है। उपर्युक्त विवचेन से स्पष्ट है कि साबिक रिकार्ड की तुलना में हाल रिकार्ड में वादी की भूमि 0.1825 हैक्टेयर कम दर्ज की गई है एवं हाल व साबिक रिकार्ड के नक्शा ट्रेस की तुलना करने पर बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वादी के खसरा नम्बर 576, 577 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिये गये हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क रहा कि वादीगण का रकबा अन्य जगह पर पूरा कर दिया गया है, निराधार है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वादीगण की अन्य भूमि आराजी मुतनाजा के 2–3 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है एवं आराजी मुतनाजा के लगोलग वादीगण की अन्य भूमि नहीं है। वादीगण के तथ्यों की पुष्टि इस बात से भी होती है कि प्रतिवादीगण का खसरा नम्बर 548/0.10 हैक्टेयर को अपनी

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

खातेदारी की भूमि बताते हुए खातेदारी घोषणा का राजस्व वाद 10/2012 उनवानी मदन बनाम सूंस्या न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, जो इस वाद के बाद मे दायर हुआ है एवं नक्शा ट्रेस व रकबा के मिलान से भी प्रतिवादी का साबिक खसरा नम्बर 3289 हाल खसरा नम्बर 548/0.10 हैक्टेयर से बना हुआ प्रतीत होता है। जहां तक तनकी संख्या 3 का प्रश्न है। इसके संबंध मे यह कि वाके ग्राम मैड तहसील विराटनगर के साबिक खसरा नम्बर 3290 रकबा 1 बीघा 1 बिसवा की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2024–2027 बिरदू व किशना पि. काना कौम माली सा.देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बिरदू व किशना सगे भाई न होकर फूंफा–भतीजा है, लेकिन पिता का नाम एक होने से वल्दियत एक साथ लिखी गई है, इस तथ्य को उभय पक्ष स्वीकार करते हैं। किशना पिता काना वादी संख्या 1 है एवं बिरदू व उसके एक पुत्र खांगाराम के फौत होने पर वादीगण संख्या 2 लगायत 10 बिरदू के विधिक उत्तराधिकारी हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 2, 3 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र पत्र के निर्णयार्थ आवश्यक तीनों विवाद्यकों के प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किये जाने से वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादीगण वादपत्र डिक्री किया जाता है। ग्राम पूरावाला के खसरा नम्बर 576/0.08, 577/0.06 हैक्टेयर का वादी संख्या 1 लगायत 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि खसरा नम्बर 576, 577 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 23.01.2018 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर